राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण
उत्तराखण्ड शासन

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / 2023-24 / 30 दिनांक 10 अप्रैल, 2023

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
विकासनगर,
जिला–देहरादून।

विषय :– **कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट लाइन जीवनगढ़ चकराता रोड, विकास नगर–248198 जिला देहरादून के चैयरमेन/सी0ई0ओ0 श्री सतीश कुमार जैन, श्री अर्पण, ओ0टी0 टेक्निशियन, कालिन्दी हॉस्पिटल तथा अन्य सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0)।**

1. मैं अतुल जोशी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत् हूं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मुझे यह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने हेतु अधिकृत किया गया है।

2. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनायें, प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एंव राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (PMJAY/AAUY/ SGHS) संचालित की जाती हैं।

3. योजना हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम एवं गाईडलाइन्स के अनुसार हॉस्पिटल द्वारा मरीजों के उपचार हेतु लिये गये क्लेम्स् का ऑडिट राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया।

4. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्लेम्स् के ऑडिट से यह ज्ञात हुआ कि कुल 171 मरीजो के केसेज में की गयी सर्जरी में Anaesthesia हॉस्पिटल द्वारा योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड Anaesthetist डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल से नहीं कराके श्री अर्पण, ओ0टी0 टेक्निशियन, कालिन्दी हॉस्पिटल अथवा किसी अन्य व्यक्ति से सम्पादित कराया जाना प्रतीत होता है। इन 171 मरीजो के विवरण सहित सूची संलग्नक–1 पर दर्शित है।

5. योजना के अन्तर्गत हॉस्पिटल द्वारा इन 171 मरीजो के क्लेम्स Transaction Management System (TMS) में दाखिल किये गये। इन सभी केसेज में दाखिल की गयी "Anaesthesia Report" पर श्री अर्पण, ओ0टी0 टेक्निशियन, कालिन्दी हॉस्पिटल अथवा अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। मात्र टेक्निशियन अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जो Anaesthesia सम्पादित करने हेतु योग्य एवं पात्र नहीं है, के द्वारा Anaesthesia सम्पादित नही किया जा सकता क्योंकि आयुष्मान योजना में वही डाक्टर जो MD, Anaesthesia / PG Diploma in Anaesthesia है, Anaesthesia सम्पादित करने के लिए योग्य एवं पात्र है।

6. हॉस्पिटल द्वारा TMS में दाखिल की गयी 171 मरीजो की "Anaesthesia Report" में तीन स्थानों पर Anaesthetist के नाम का उल्लेख किया जाता है। इन तीनो स्थानों पर डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल का नाम नहीं है। "Anaesthesia Report" में दो स्थानों पर Anaesthetist के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। इन दोनो स्थानों पर डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल के हस्ताक्षर नहीं है। "Anaesthesia Report" में सभी स्थानों पर श्री अर्पण, ओ0टी0 टेक्निशियन, कालिन्दी हॉस्पिटल अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना प्रतीत होता है। इन सभी 171 मरीजो की "Anaesthesia Report" **संलग्नक–2** पर दर्शित है।

7. हॉस्पिटल द्वारा Hospital Empanelment Module (HEM) पोर्टल पर डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल को Anaesthetist बताया गया है। हॉस्पिटल द्वारा Hospital Empanelment Module (HEM) पोर्टल पर Anaesthetist डाक्टर परिवर्तित भी कभी नहीं किया गया है। हॉस्पिटल द्वारा डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल को ही अगस्त, 2018 से अभी तक Anaesthetist बताया गया है, जबकि डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल द्वारा लिखित में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) को दिनांक 08.04.2023 को अपने पत्र में यह बताया गया है कि उन्होने कालिन्दी हॉस्पिटल में कभी भी किसी भी मरीज को Anaesthesia सम्पादित नही किया है। डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) को लिखे गये पत्र की प्रति **संलग्नक–3** पर दर्शित है।

8. किसी मरीज की सर्जरी के समय Anaesthesia करने का कार्य अत्यन्त गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। Anaesthesia के कार्य को सावधानी–पूर्वक सम्पादित किया जाना मरीज के जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। हॉस्पिटल द्वारा यह कार्य Anaesthetist डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल से न कराके श्री अर्पण, ओ0टी0 टेक्निशियन अथवा अन्य किसी व्यक्ति से सम्पादित कराके, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) के साथ धोखाधड़ी करके, अनियमित रुप से क्लेम्स् की धनराशि प्राप्त की गई है।

9. हॉस्पिटल द्वारा Anaesthesia का कार्य डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल से सम्पादित न कराके श्री अर्पण, ओ0टी0 टेक्निशियन अथवा अन्य किसी व्यक्ति से सम्पादित कराके TMS मे फर्जी "Anaesthesia Report" दाखिल की गई है।

10. हॉस्पिटल के क्लेम्स् के ऑडिट से यह स्पष्ट हुआ है कि हॉस्पिटल द्वारा इन 171 केसेज में डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल से Anaesthesia सम्पादित नही कराके आपराधिक कृत्य किया गया है (यद्यपि HEM पोर्टल में उन्हें Anaesthetist डॉक्टर बताया गया है)। Anaesthesia को डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल द्वारा सम्पादित नहीं करने की पुष्टि स्वयं डॉ0 जी0सी0 बौंठियाल द्वारा लिखित रूप से की गयी है। हॉस्पिटल के इस आचरण से यह ज्ञात होता है कि हॉस्पिटल द्वारा फर्जी मेडिकल पेपर्स दाखिल करके क्लेम्स् प्राप्त करने हेतु न केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ कपटपूर्ण व्यवहार/धोखाधड़ी की गयी है, वरन् यह रोगियों के समुचित उपचार व उनके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक गम्भीर आपराधिक कृत्य है।

11. कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट के चैयरमेन/सी0ई0ओ0 श्री सतीश कुमार जैन, श्री अर्पण, ओ0टी0 टेक्निशियन अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो इस कार्य में संलग्न हैं, द्वारा धोखाधड़ी करके हॉस्पिटल द्वारा अनियमित रुप से क्लेमस प्राप्त किये गये और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

विभाग, उत्तराखण्ड शासन को आर्थिक क्षति भी पहुंचाई गयी है। साथ ही नियत डॉक्टर से Anaesthesia नही कराके श्री अर्पण, ओ0टी0 टेक्निशियन अथवा अन्य किसी व्यक्ति से सम्पादित कराके TMS मे फर्जी "Anaesthesia Report" दाखिल करके, आयुष्मान योजना के मरीजों के जीवन की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया गया है।

12. अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विधिक धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके तत्काल कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(अतुल जोशी)
अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उप महानिरीक्षक, गढ़वाल रेंज, देहरादून।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।

(अतुल जोशी)
अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण